संख्या-15/2020/184/अड़तीस-6-2020-आर-165/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

मिशन निदेशक,
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊः दिनांकः 09 जून, 2020

विषयः-उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत बैंकिंग करेस्पाण्डेंट सखी (बी0सी0-सखी) के चयन के संबंध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या-165/अड़तीस-6-2020-आर-165/2020, दिनांक-22.05.2020 के द्वारा शासन ने उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 58000 ग्राम पंचायतों बैंकिंग में करेस्पाण्डेंट सखी (बी0सी0-सखी) को चयनित एवं प्रशिक्षित कर तैनात करने का निर्णय लिया गया है।

उद्देश्य

ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों एवं बैंक के मध्य एक सम्पर्क सूत्र स्थापित करना ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को बैंक के स्थान पर बी.सी.-सखी के माध्यम से मिल सके इसलिए यह बैंक जनता के द्वार की परिकल्पना को साकार करने में मदद करेंगी। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए ग्रामीण परिवारों व स्वयं सहायता समूहों में डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ाने का तथा वंचित परिवारों के फाईनेन्शियल इन्क्लूजन के लिए यह एक सशक्त माध्यम होंगी। बी.सी.-सखी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की फाईनेन्शियल इन्क्लूजन की मुख्य रणनीति होगी।

बी.सी. सखी के चयन का आधार

बी.सी.-सखी के चयन के लिए पहली वरीयता स्वयं सहायता समूह की उस सदस्या के लिए होगी, जो स्वयं सहायता समूह को सबसे पहले ज्वाईन किया था और स्वयं सहायता समूह के केन्द्र बिन्दु के रूप में है एवं स्वयं सहायता समूह को संचालित रखने में जिसकी अहम भूमिका है। ऐसा भी हो सकता है कि कतिपय स्वयं सहायता समूह वर्तमान में सक्रिय न हों, लेकिन उसकी जागरूक गतिशील सदस्या को बी.सी.-सखी के रूप में चयनित किया जा सकता है और स्वयं सहायता समूह को पुनः क्रियाशील बनाया जा सकता है। यह भी हो सकता है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत में गरीब व कमजोर वर्ग की हिमायत करने वाली या हितों के लिए संघर्ष करने वाली कोई महिला उद्यमशीलता रखती हो और बी.सी.-सखी के रूप में कार्य करने को तत्पर हो तो उनका चयन भी बी.सी.-सखी के रूप में किया जा सकता है, पर इस दशा में उन्हें किसी स्वयं सहायता समूह के साथ सदस्या के रूप में जोड़ना होगा या स्वयं को शामिल करते हुए एक नया स्वयं सहायता समूह बनाना होगा।

बी.सी.-सखी बनने के लिए आवेदिका राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह, शासकीय योजनाओं के अतिरिक्त अन्य योजनओं में गठित स्वयं सहायता समूह जो किसी एन.जी.ओ. अथवा कारपोरेट सोशल रिस्पोंसबिलिटी (सीएसआर) प्रोजेक्ट के अन्तर्गत गठित की गई है वह भी अर्ह होंगे। चयन प्रक्रिया का उद्देश्य यह होगा कि ऐसे बी.सी.-सखी का चयन हो जिसमें नेतृत्व की क्षमता हो एवं नयी तकनीक को सीखने व समझने के लिए पर्याप्त रूझान हो। बी.सी.-सखी के रूप में चयनित महिला में उद्यमिता हो, वह आकांक्षी हो, गरीबों, वंचित वर्ग से सहानुभूति रखती हो और उनके बीच में काम करने में पूरी तरह प्रतिबद्ध हो।

<u>चयन प्रक्रिया</u>

बी.सी.-सखी का चयन टेक्नोलॉजी आधारित होगा, जो अभ्यर्थी से सीधा, बेरोकटोक और वगैर किसी पूर्वाग्रह के सम्पर्क एवं संवाद करने में सक्षम होगा। इस टेक्नोलॉजी आधारित प्रक्रिया से बड़ी तादाद में उन अभ्यर्थियों तक पहचा जा सकेगा, जो आमतौर पर सामान्य चयन प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाते हैं। चयन प्रक्रिया में एक मोबाईल ऐप UP BCSakhi दिनांक 11.06.2020 को रोल आउट किया जायेगा। स्वयं सहायता समूह की सदस्या अपने समूह में से किसी भी सदस्या को नामित कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह के सदस्य अपने स्वयं सहायता समूह के बाहर के किसी सम्भावित अभ्यर्थी को समूह में शामिल कर भी नामित कर सकते हैं। बी.सी.-सखी के रूप में चयनित होने के लिए अभ्यर्थियों को सम्बन्धित ग्राम पंचायत का निवासी होना आवश्यक है। V.Os CLF एक BMMU यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी योग्य स्वयं सहायता समूहों के योग्य आवेदक आवेदन करें।

अभ्यर्थी को ऐप पर मांगा गया विवरण उपलब्ध कराना होगा और ऐप में पूछे गए सवालों का उत्तर भी भरना होगा। कतिपय डाक्यूमेंट, फोटोग्राफ्स जैसे आधार कार्ड आदि अपलोड करने होंगे। ऐप पर प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण व शॉर्ट लिस्टिंग के उपरान्त राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा अभ्यर्थियों से आवश्यकतानुसार इलैक्ट्रानिक माध्यम से इण्टरव्यू भी किया जायेगा। मोबाईल ऐप UP BCSakhi गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा। ऐप का लिंक व्हाट्सऐप के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है, जिसे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत तैनात डिस्ट्रिक्ट कोआर्डिनेटर, एस.आर.एल.एम., डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेन्ट यूनिट, सी.एल.एफ., वी.ओ. से भी लिया जा सकता है। अभ्यर्थी इस ऐप से सम्बन्धित किसी भी जिज्ञासा की जानकारी दूरभाष संख्या-8005380270 पर प्राप्त कर सकते हैं। ऐप दिनांक 11.06.2020 को रोल आउट किया जायेगा। अभ्यर्थीगण दिनांक 11.07.2020 तक आवेदन कर सकते हैं।

मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन आवेदन बी.सी.-सखी की चयन प्रक्रिया व सम्बन्धित ऐप का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश के अन्दर गठित सभी स्वयं सहायता समूहों तक यह पहुँचे यह उनके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

<u>ब्रैन्डिंग व ड्रेस कोड</u>

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन B.C.-Sakhi के ब्रैन्डिंग की व्यवस्था करेगा तथा NIFT या अन्य सक्षम संस्था के साथ मिलकर ड्रेस कोड तय करेगा।

<u>प्रशिक्षण व सर्टिफिकेशन</u>

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन चयनित B.C.-Sakhi के प्रशिक्षण व सर्टिफिकेशन (IIBF द्वारा) सुनिश्चित करेगा।

<u>पुलिस वेरीफिकेशन</u>

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन B.C.-Sakhi व चयन उपरान्त चयनित B.C.-Sakhi को प्रशिक्षण में भेजने के पूर्व उनका पुलिस वेरिफिकेशन सुनिश्चित करेगा।

<u>आरक्षण</u>

प्रदेश में चयनित किए जाने वाले 58000 B.C.-Sakhi में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

<u>वित्तीय सहायता</u>

बैंकिंग करेस्पाण्डेंट-सखी के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक उपकरण की व्यवस्था राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा करायी जायेगी। बी.सी.-सखी के रूप में चयनित अभ्यर्थी को रु0 4000/- प्रति माह 06 माह तक Honorarium Suport राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। बी.सी.-सखी को रु0 75000/- की धनराशि आसान ऋण के रूप में हार्डवेयर व स्थापना के लिए उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-15(1)/2020/184(1)/38-6-2020तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
2. **समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
3. **समस्त उपायुक्त, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश।**
4. **गार्ड बुक।**

आज्ञा से,
विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।